राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांकः एफ61(80)SSAAT/CA Audit/2020 3745 जयपुर, दिनांक 25/10/21

निविदा सूचना

(Single Source Prpcurement as per rule, 17 of the RTPP Rules, 2013)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सेासायटी (SSAAT), शासन सचिवालय, जयपुर में निम्न लेखाकार्य करने एवं बजट/लेखा नियमावली/दिशानिर्देश तैयार करने हेतु योग्य सनदी लेखाकार फर्म से (Chartered Accountant Firm) से वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है :–

S. No.	Particulars of work (FY 2020-21)	Consolidated Annual rates in Rupees (Including all other Taxes, excluding GST)	
		In Figures	In words
1.	• To prepare/maintain books of accounts Scheme-wise on Tally. • TDS Calculation, filling of Quarterly TDS returns, monthly/Periodically Challan generation, ensuring correct deposition, generation of Form 16, 16A and other work as per Income Tax Act. 1961. • To prepare periodically/monthly Bank Reconciliation Statement. • GST calculation Challan generation ensuring correct deposition, Periodically filling of GST returns as per Law including filling of annual returns. • To prepare Scheme-wise Utilization Certificate and timely submssion there of etc. • To prepare final accounts of SSAAT, i.e. (Receipt & Payment a/c, Income & Expenditure a/c and Balance sheet) • To give advice and prepare reply of matters relating to Income Tax and GST issues at primary stage excluding physical appearance in the related courts or assessing authorities.		
2.	• To prepare Budget & Accounting Mannual/Guidelines for SSAAT as per instructions of MoRD (RDD), GoI and FD (GoR), including presentation before and approval of competent authorities.		

निविदादाता अपना प्रस्ताव समस्त कर सहित दरें (GST के अतिरिक्त) दिनांक 01-11-21 को सायं 4.00 बजे तक निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सेासायटी (SSAAT), शासन सचिवालय, जयपुर के नाम प्रस्तुत करे। निविदा प्रस्ताव की शर्तें संलग्न प्रारूप **परिशिष्ट–1** के अनुसार होगी। उपरोक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

25/X/2021

(सोहन लाल अग्रवाल)
कार्यालयाध्यक्ष,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान

क्रमां. 3746 दि. 25/10/21

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रोग्रामर कार्यालय हाजा को निविदा सूचना SPP Portal पर अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित फर्म A. R. Bhansali & Co., Jaipur ।

8320 letter ssaat

BID FORM

(Single Source Procurement as per rule 17 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013)

1.	Name of Bidder/ Firm/ Company	
2.	Full Address	
3.	Phone & Mobile No.	
4.	e-mail address	
5.	TIN No.	
6.	PAN No.	
7.	Bank Account No.	
8.	Name of Bank	
9.	Bank Branch	
10.	Bank IFSC code	
11.	Experience, if any	
12.	Rates be quated as under :-	

S. No.	Particulars of work (FY 2021-22) (For complete work of 12 months i.e. Apr. 2021 to March 2022)	Consolidated Annual rates in Rupees (Including all other Taxes, excluding GST)	
		In Figures	In words
1.	• To prepare/maintain books of accounts Scheme-wise on Tally. • TDS Calculation, filling of Quarterly TDS returns, monthly/Periodically Challan generation, ensuring correct deposition, generation of Form 16, 16A and other work as per Income Tax Act. 1961. • To prepare periodically/monthly Bank Reconciliation Statement. • GST calculation Challan generation ensuring correct deposition, Periodically filling of GST returns as per Law including filling of annual returns. • To prepare Scheme-wise Utilization Certificate and timely submssion there of etc. • To prepare final accounts of SSAAT, i.e. (Receipt & Payment a/c, Income & Expenditure a/c and Balance sheet) • To give advice and prepare reply of matters relating to Income Tax and GST issues at primary stage excluding physical appearance in the related courts or assessing authorities.		
2.	• To prepare Budget & Accounting Mannual/Guidelines for SSAAT as per instructions of MoRD (RDD), GoI and FD (GoR), including presentation before and approval of competent authorities.		

Signature of Bidder/Firm/Company with seal

8320 letter ssaat

निविदा की शर्तें

निविदादाता अपना निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले निम्न निर्देशों एवं शर्तो का अध्ययन कर इनकी पालना सुनिश्चित करें :–

1. निविदादाता अपना प्रस्ताव निविदा फार्म में लेखाकार्य करने एवं बजट/लेखा नियमावली/दिशानिर्देश तैयार करने हेतु समस्त करों सहित (GST के अतिरिक्त) वार्षिक दर राशि रूपये अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत करें। उपरोक्त दरों के अलावा अन्य कोई भी राशि किसी नाम से भुगतान नहीं की जावेगी। GST की दरे पृथक से अंकित की जावेगी और कार्य अवधि के दौरान इन दरों में परिवर्तन की स्थिति में जो दरें प्रभावशील होगी तदनुसार ही कर राशि देय होगी। इसका सेट ऑफ बेनिफीट भी सोसायटी को नियमानुसार दिलवाना होगा।
2. निविदादाता का टिन नं./पैन नं. प्रस्ताव में अंकित होना अनिवार्य है।
3. निविदा प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से प्रस्तावक फर्म, कम्पनी या एकल स्वामित्व वाली फर्म का नाम, पता, फोन नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल का पता भी आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।
4. निविदादाता फर्म का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम एवं आईएफएससी कोड नं. भी प्रस्ताव में अंकित किया जावे।
5. यह निविदा सूचना वित्त विभाग राजस्थान सरकार के स्टेट पब्लिक प्रौक्योरमेंट पोर्टल (SPPP) पर भी डाली जा रही है। निविदादाता पोर्टल पर देखकर उक्त निविदा आमंत्रण एवं शर्तो के आधार पर अपने निविदा प्रस्ताव निर्धारित तिथि तक सीधे प्रस्तुत कर सकते है।
6. निविदा प्रस्ताव निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), शासन सचिवालय, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत किये जावे।
7. उक्त निविदा के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शता नियम 2012 एवं 2013 के अनुसार बयाना राशि प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
8. निविदा प्रस्ताव में समस्त विवरण एवं दरें स्पष्ट रूप से लिखित या टंकित दिये जावे। अपठनीय या उपरीलेखन होने पर प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा। कटिंग होने पर कटिंग पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
9. निविदा में दिये गये समस्त लेखा एवं कर दायित्व से संबंधित समस्त कार्य (सभी छः योजनाओं का) संतोष जनक रूप से एवं सही रूप से सम्पादित करने होगे।
10. सोसायटी की बजट और लेखा नियमावली/दिशानिर्देश (Budget and accounting Manual/guidelines) प्रचलित लेखांकन स्टेण्डर्डस (Acconting standard in vogue in india), महात्मा गांधी नरेगा योजना लेखा परीक्षा नियम–2011, भारत सरकार के नरेगा संबंधित मास्टर सरक्यूलर 2020–21 (नवीनतम), भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य योजनाओं के भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की ओर से जारी किये गए विभिन्न दिशा निर्देशों तथा राजस्थान सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों (यथा RTPP Act/Rules, budget Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों) आदि के अनुरूप और सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जावेगा। उक्त कार्य वर्तमान में प्रचलित 6 योजनाओं अर्थात् महात्मा गांधी नरेगा योजना (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G), स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G), 14वाँ/15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग (14th/15th CFC), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) के लिये किया जाना है परन्तु भविष्य में नवीन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने का निर्णय होता है तो आनुपातिक रूप से नवीन योजनाओं के लिये अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जावेगा।

11. निविदा में अंकित समस्त कार्य समय पर एवं सही रूप से किये जाने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

12. भुगतान शर्तें: उपरोक्त समस्त कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित होने पर निम्नानुसार भुगतान किया जावेगा:–

(i) कुल अनुमोदित राशि में से 60 प्रतिशत राशि लेखांकन एवं कर संबंधित कार्यों के लिये मानते हुए प्रत्येक माह का कार्य सम्पादन होने पर किया जावेगा।

(ii) शेष 40 प्रतिशत राशि बजट और लेखा नियमावली/दिशानिर्देश (Budget and accounting Manual/guidelines) के पेटे मानते हुए कार्य सम्पादन के आधार पर दो किस्तों में भुगतान किया जावेगा।

(क) उपरोक्त नियमावली/दिशानिर्देशों का अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत राशि एवं

(ख) शेष 50 प्रतिशत राशि सक्षम अधिकारी (अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, SSAAT) के बजट और लेखा नियमावली/दिशानिर्देश (Budget and accounting Manual/guidelines) के अनुमोदन उपरान्त भुगतान किया जावेगा।

(iii) कर राशि प्रचलित नियमानुसार प्रत्येक अंश भुगतान अथवा मासिक भुगतान के साथ देय होगी।

(iv) उपरोक्त नियमावली लेखन का कार्य 15 मार्च 2022 से पूर्व सम्पन्न करना होगा।

(v) सोसायटी के वार्षिक अंतिम लेखे 30 अप्रैल 2022 से पूर्व विधिवत् रूप से तैयार कर प्रस्तुत करने होंगे।

(vi) कार्य में देरी की स्थिति में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में प्रचलित दरों पर नियमानुसार पेनल्टी राशि (Liquidated Damage) की वसूली अधिरोपित की जायेगी।

(vii) मासिक बिलों से नियमानुसार विधिक कटौतियां की जावेगी।

(viii) बजट और लेखा नियमावली/दिशानिर्देश (Budget and accounting Manual/guidelines) तैयार करने हेतु टंकण शुल्क (Typing Charge) अलग से देय नहीं होंगे तथा बजट और लेखा नियमावली/दिशानिर्देश (Budget and accounting Manual/guidelines) स्पाईरल बाइडिंग (Spiral Binding) में अंग्रेजी भाषा तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी।

13. सोसायटी के लेखे तैयार करने एवं बजट और नियमावली/दिशानिर्देश (Budget and accounting Manual/guidelines) हेतु सोसायटी से अपेक्षित सूचनाएँ निविदादाता के मांग पत्र प्राप्ति के सात दिवस में आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निविदादाता की ई–मेल पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में तथा उसके प्रतिनिधि के कार्यालय में उपस्थित होने पर हार्डकॉपी में उपलब्ध कराई जावेगी। वर्ष 2021–22 के समाप्त हो चुके माहों के बकाया कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किये जायेंगे ताकि वर्ष के अंतिम माह में कार्य का दबाव ना रहे।

14. निविदा दरें अनुमोदित होकर आदेश दिये जाने की तारीख से अविलम्ब कार्य करना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निविदा सूचना एवं शर्तो में अंकित शर्तो के अतिरिक्त शर्ते, विपरित शर्ते, सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे।

16. निविदा प्रक्रिया एवं भुगतान से संबंधित कोई विवाद होने पर निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), शासन सचिवालय, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा एवं अनुमोदित सप्लायर को मान्य होगा।

17. किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, SSAAT को होगा।

18. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (निविदादाता/सप्लायर या सोसायटी) द्वारा जयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालय में ही वाद पेश किया जा सकता है, अन्य स्थान पर वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा अर्थात न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

19. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त, जहां आवश्यक हो, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम–2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में इस उपापन से सुसंगत सभी प्रावधान एवं शर्तें इस निविदा के लिए भी अक्षरशः लागू होगी।
20. अनुमोदित निविदादाता उक्त अनुबंध को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य फर्म को सबलैट नहीं करेगा।
21. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोसायटी के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य पदाधिकारियों पर अपना समर्थन कराने हेतु आग्रह करना अथवा दबाव बनाना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
22. निदेशक, SSAAT के पास किसी भी निविदा प्रस्ताव या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये रद्द करने या आंशिक रूप से अस्वीकार करने या सम्पूर्ण प्रस्ताव को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
23. निविदादाता निविदा प्रस्ताव मय परिशिष्ट–1 के समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर मय सील के अंकित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
24. निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित **परिशिष्ट–1** सहित निविदा प्रस्ताव बन्द लिफाफे पर **"वर्ष 2021–22 हेतु लेखाकार्य करने एवं बजट/लेखा नियमावली/दिशानिर्देश तैयार करने हेतु निविदा"** लिखा जाकर निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावे।

हस्ताक्षर निविदादाता

नामः ....

पताः ....

....

....

मो0 न0 ....

8320 letter ssaat